संख्या-316 /एक–10-2024-33(19)/2022

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झांसी ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः14/02/2024

विषय- जनपदों में स्थापित इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर के सुदृढीकरण हेतु विभिन्न उपकरणों के क्रय तथा अवस्थापन सम्बन्धी अन्य विविध व्यय हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-179/मु0रा0आ0-03(13)/दैवीय आपदा/2023-24, दिनांक 27.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद झांसी में इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर के सुदृढीकरण हेतु अनुदान संख्या-051 लेखा शीर्षक 22450580005611 से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के अन्तर्गत पुनः बजट आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों में स्थापित इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर के सुदृढीकरण हेतु विभिन्न उपकरणों के क्रय तथा अवस्थापन सम्बन्धी अन्य विविध व्यय हेतु जनपद झांसी में इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर के सुदृढीकरण हेतु अनुदान संख्या-051 लेखा शीर्घक 22450580005611 से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के अन्तर्गत पुनः बजट रू0 8,64,000/ जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबंधों

(1) उपकरणों को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में क्रय के सुसंगत नियमों/वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(2) उपकरणों का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से ही किया जायेगा।

(3) ई-टेण्डरिंग/जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर

निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(4) स्वीकृति धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(5) इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिये गये मार्ग-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(6) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(7) जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर 369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(10) इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2247/एक-10-202233(21)/2022, दिनांक 27.01.2023 की तालिका-अ में उल्लिखित विवरणों के आधार पर ही सामग्री का क्रय किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये रु0 8,64,000/ (रू0 आठ लाख चौंसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-0611 से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally Signed by
शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी
(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
Reason: Approved
अनु सचिव।

I/495140/2024

संख्याः- (1)/एक-10-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज, उ0प्र0 ।

2- राहत आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।

3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

4- सेनानायक, राज्य आपदा मोचक बल (एस0डी0आर0एफ0), लखनऊ, उ0प्र0।

5- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण।

6 विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0।

7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।

8- सम्बन्धित कोषाधिकारी ।

9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-15/02/2024

प्रेषण संख्या:- 316
आवंटन आदेश संख्या:- 001-316
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	झाँसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	864000 2876800	864000 2876800
	योग	वर्तमान प्रगामी	864000 2876800	864000 2876800

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया आठ लाख चौसठ हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अठाईस लाख छिहत्तर हजार आठ सौ

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन